(43)

संख्या 960/उन्तीस(1)/2011–(35अधि0)2002

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग –1 *देहरादून : दिनांक 08 नवम्बर 2011*

विषय :– ***राज्य सरकार के कार्मिकों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (A.C.P.) की व्यवस्था को उत्तराखण्ड जल संस्थान में लागू जाना ।***

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके कार्यालय पत्रांक 2837/कार्मिक/01/वेतन आयोग/31/2011–12, दिनांक 28.07.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के समस्त श्रेणी के पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए शासनादेश संख्या 2454/उन्तीस/04–2–(35अधि0)/2002, दिनांक 31, जनवरी, 2005 द्वारा लागू समयमान–वेतनमान की व्यवस्था के स्थान पर वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 872/XXVII(7)न0प्रति0/2011, दिनांक 08 मार्च 2011 एवं तत्क्रम में समय–समय पर जारी स्पष्टीकरण दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (A.C.P.) की नई व्यवस्था निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नवत् लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त योजना दिनांक 01.01.2006 के पूर्व के वेतनमान रू0 7500–12000 पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में ग्रेड पे रू0 4800 तक के पदधारकों के लिये दिनांक 01.09.2008 से तथा वेतनमान रू0 8000–13500 पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में ग्रेड पे रू0 5400 तथा उससे ऊपर के वेतन बैण्ड एंव ग्रेड पे के पदधारकों के लिये दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी होगी। ।

(2) उक्त शासनादेश को लागू किए जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि इस पर आने वाले समस्त व्ययभार का वहन उत्तराखण्ड जल संस्थान स्वंय के संसाधनों से ही वहन करेगा तथा इस सम्बन्ध में शासन से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 सं0 511/XXVII(7)/2011, दिनांक 04 नवम्बर 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

1806